न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

5

उनवान

हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा–सपोटरा जरिये सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी – प्रार्थी

बनाम

1. रामहेत पुत्र सूका जाति मीना निवासी ददुराई तहसील सपोटरा जिला करौली
2. भरतलाल पुत्र हंसा जाति मीना निवासी दौलतपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
3. रामोती पत्नि हंसा जाति मीना निवासी दौलतपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत् ऋणी सदस्य की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत्

निर्णय

दिनांक–31.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन के जरिये हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा अप्रार्थीगण की सम्पति/कृषि भूमि जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थीगण की सम्पति/कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 99 के तहत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस में बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा करवाकर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया किन्तु बावजूद नोटिस प्राप्ति अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है और अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आये हैं और ना ही अपना पक्ष रखा गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण रामहेत पुत्र सूका जाति मीना निवासी ददुराई तहसील सपोटरा जिला करौली, भरतलाल पुत्र हंसा, रामोती पत्नि हंसा जातियान मीना निवासीयान दौलतपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा सपोटरा से ऋण लिया गया था, जिसे चुकता नहीं कराने पर अप्रार्थीगण की ओर दिनांक 31.03.2008 को बकाया असल 79346/–रूपये, ब्याज 95645/–रूपये, द0ब्याज 1263/–रूपये सहित कुल राशि 176254/–रूपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थीगण के खाते में कुल बकाया असल 302680/–रूपये, ब्याज 314167/–रूपये द0ब्याज 38845/–रूपये, वसूली व्यय 6180/–रूपये, बीमा 18090 नीलामी व्यय 33998/–सहित कुल

जिला कलक्टर
करौली

6

राशि 713960 / –रूपये की अदायगी अप्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गयी है। अब उक्त डिक्री की राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिये विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की बैंक में बंदकित सम्पति तत्कालीन आराजी खसरा नं. 185 रकबा 05 बीघा 01 विस्वा हिस्सा 1/3 भाग एवं ख.नं. 2 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा हिस्सा पूर्ण बाके ग्राम अमरबाड तहसील सपोटरा, ख.नं. 326 रकबा 07 विस्वा, ख.नं. 327 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 329 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 355 रकबा 02 विस्वा किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 11 विस्वा हिस्सा 1/3 भाग तथा ख.नं. 352 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 353 रकबा 1 बीघा किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 18 विस्वा हिस्सा पूर्ण भाग बाके ग्राम आड़ाडूंगर तहसील सपोटरा और अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की प्रार्थी संस्था/बैंक में बंदकित सम्पत्ति ख.नं. 609 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 854 रकबा 15 बिस्वा, ख.नं. 859 रकबा 2 बीघा 01 विस्वा, ख.नं. 868 रकबा 1 बीघा 05 विस्वा, ख.नं. 869 रकबा 06 विस्वा, ख.नं. 870 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा, ख. नं. 892 रकबा 19 विस्वा, ख.नं. 895 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 904/4 रकबा 3 बीघा 05 विस्वा, खसरा नं. 905 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 906 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख.नं. 911 रकबा 2 बीघा, ख.नं. 1420/3 रकबा 02 बिस्वा किता 13 कुल रकबा 16 बीघा 04 विस्वा हिस्सा 1/5 भाग, खसरा नं. 1373 रकबा 17 विस्वा, ख.नं. 1374 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 1387 रकबा 07 बिस्वा, ख.नं. 1388 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 1389 रकबा 07 बिस्वा, ख.नं. 1390 रकबा 07 विस्वा, ख.नं. 1392 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 1393 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 1394 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 1395 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 1396 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 1397 रकबा 06 विस्वा किता 12 कुल रकबा 5 बीघा 19 विस्वा हिस्सा 5/25 भाग बाके ग्राम आड़ाडूंगर तहसील सपोटरा जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा दिनांक 12.04.2014, 23.01.2016 एवं 29.02.2016 को जरिये नीलामी की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियमं 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गई भूमि को प्रार्थी सहकारी बैंक को अंतरित करने हेतु प्रार्थी बैंक के प्रशासक एवं महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. जयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.04.2016 के निर्णय का उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 29.04.2016 को अनुमोदन कर अप्रार्थीगण की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन भूमि, जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है, का प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की उक्त भूमि जो हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा–सपोटरा के पक्ष में बंधक है, को उक्त प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी ने निवेदन किया है।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा की दिनांक 31.03.2008 तक बकाया ऋण राशि असल 79346/–रूपये, ब्याज 95645/–रूपये, द0ब्याज 1263/–रूपये सहित कुल राशि 176254/–रूपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थीगण के खाते में कुल बकाया असल 302680/–रूपये, ब्याज 314167/–रूपये द0ब्याज 38845/–रूपये, वसूली व्यय 6180/–रूपये, बीमा 18090 नीलामी व्यय 33998/–सहित कुल राशि 713960/–रूपये जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थी संख्या 1 की बैंक में बंदकित सम्पति तत्कालीन आराजी खसरा नं. 185 रकबा 05 बीघा 01 विस्वा हिस्सा 1/3 भाग एवं ख.नं. 2 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा हिस्सा पूर्ण बाके ग्राम अमरबाड़ तहसील सपोटरा, ख.नं. 326 रकबा 07 विस्वा, ख.नं. 327 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 329 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 355 रकबा 02 विस्वा किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 11 विस्वा हिस्सा 1/3 भाग

जिला कलक्टर
करौली

तथा ख.नं. 352 रकबा 18 बिस्वा, ख.नं. 353 रकबा 1 बीघा किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा हिस्सा पूर्ण भाग बाके ग्राम आड़ाडूंगर तहसील सपोटरा और अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की प्रार्थी संस्था/बैंक में बंदकित सम्पत्ति ख.नं. 609 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 854 रकबा 15 बिस्वा, ख.नं. 859 रकबा 2 बीघा 01 विस्वा, ख.नं. 868 रकबा 1 बीघा 05 विस्वा, ख.नं. 869 रकबा 06 विस्वा, ख.नं. 870 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा, ख.नं. 892 रकबा 19 विस्वा, ख.नं. 895 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 904/4 रकबा 3 बीघा 05 विस्वा, खसरा नं. 905 रकबा 16 विस्वा, ख. नं. 906 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख.नं. 911 रकबा 2 बीघा, ख.नं. 1420/3 रकबा 02 बिस्वा किता 13 कुल रकबा 16 बीघा 04 विस्वा हिस्सा 1/5 भाग, खसरा नं. 1373 रकबा 17 विस्वा, ख.नं. 1374 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 1387 रकबा 07 बिस्वा, ख.नं. 1388 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 1389 रकबा 07 बिस्वा, ख.नं. 1390 रकबा 07 विस्वा, ख.नं. 1392 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 1393 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 1394 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 1395 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 1396 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 1397 रकबा 06 विस्वा किता 12 कुल रकबा 5 बीघा 19 विस्वा हिस्सा 5/25 भाग बाके ग्राम आड़ाडूंगर तहसील सपोटरा जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही की गई किन्तु बोलीदाताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। हम प्रार्थी के कथनों से सहमत हैं। अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 की बैंक में बंदकित सम्पति तत्कालीन आराजी खसरा नं. 185 रकबा 05 बीघा 01 विस्वा हिस्सा 1/3 भाग एवं ख.नं. 2 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा हिस्सा पूर्ण बाके ग्राम अमरबाड़ तहसील सपोटरा, ख.नं. 326 रकबा 07 विस्वा, ख.नं. 327 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 329 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 355 रकबा 02 विस्वा किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 11 विस्वा हिस्सा 1/3 भाग तथा ख.नं. 352 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 353 रकबा 1 बीघा किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 18 विस्वा हिस्सा पूर्ण भाग बाके ग्राम आड़ाडूंगर तहसील सपोटरा और अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की प्रार्थी संस्था/बैंक में बंदकित सम्पत्ति ख.नं. 609 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 854 रकबा 15 बिस्वा, ख.नं. 859 रकबा 2 बीघा 01 विस्वा, ख.नं. 868 रकबा 1 बीघा 05 विस्वा, ख.नं. 869 रकबा 06 विस्वा, ख.नं. 870 रकबा 2 बीघा 08 विस्वा, ख.नं. 892 रकबा 19 विस्वा, ख.नं. 895 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 904/4 रकबा 3 बीघा 05 विस्वा, खसरा नं. 905 रकबा 16 विस्वा, ख.नं. 906 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख.नं. 911 रकबा 2 बीघा, ख.नं. 1420/3 रकबा 02 बिस्वा किता 13 कुल रकबा 16 बीघा 04 विस्वा हिस्सा 1/5 भाग, खसरा नं. 1373 रकबा 17 विस्वा, ख.नं. 1374 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 1387 रकबा 07 बिस्वा, ख.नं. 1388 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 1389 रकबा 07 बिस्वा, ख.नं. 1390 रकबा 07 विस्वा, ख. नं. 1392 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 1393 रकबा 09 विस्वा, ख.नं. 1394 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 1395 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 1396 रकबा 08 विस्वा, ख.नं. 1397 रकबा 06 विस्वा किता 12 कुल रकबा 5 बीघा 19 विस्वा हिस्सा 5/25 भाग बाके ग्राम आड़ाडूंगर तहसील सपोटरा जिला करौली को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अंतर्गत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा सपोटरा के पक्ष में अंतरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार सपोटरा को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली